

सेवा में,

परियोजना निदेशक
आत्मा, रामगढ़।

Passport
size photo

संदर्भ - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दलहन/व्युद्दी सीरियल अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के कार्यान्वयन हेतु प्रगतिशिल कृषक एवं कृषक समुह के लिए सहायता अनुदान पर (50 प्रतिशत/ 40 प्रतिशत) कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. पॉवर नेपसेक स्प्रेयर | 07. पम्प सेट |
| 2. नेपसेक स्प्रेयर (हस्त चालित) | 08. सिंचाई पाइप |
| 3. रोटावेटर | 09. मोबाईल रेनगन |
| 4. मल्टी क्रॉप थ्रेसर | 10. Ridge Furrow Planter |
| 5. स्पीकलर | 11. Mini Dal mill |
| 6. Seed Storage Bins | |

महाशय,

हम कृषक/कृषक समुह का नामपिता/पति.....
ग्राम..... पंचायत/वार्ड सं०.....मो० नं०....., आधार नं०.....
बैंक का नाम..... खाता संख्या..... IFSC Code जमीन का
खाता संख्या प्लॉट संख्या..... प्रखण्ड.....जिला - रामगढ़ के स्थाई निवासी हैं। हम या हम
सभी अनु०ज०जा०/ पिछड़ी/ सामान्य जाति/ महिला कृषक हैं। हम/हम सभी..... यंत्र
प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। हम/ हम सभी कृषक समुह के पास कुल कृषि योग्यएकड़ भूमि
उपलब्ध है।

सिंचाई स्रोत का नाम :-.....

अतः अनुरोध है कि हमें अनुदानित दर परयंत्र उपलब्ध कराने की कृपा
की जाय।

(क) कृषि उपकरण का ब्रांड

(ख) कृषि उपकरण का मूल्य

(ग) देय राशि

कुल राशि

अनुदान की राशि (50 प्रतिशत)

हमारे द्वारा देय राशि (50 प्रतिशत)

कुल -

अन्य

जनप्रतिनिधि के द्वारा
के द्वारा अनुशंसित
(मुहर के साथ)

बी०टी०एम०/ए०टी०एम
के द्वारा अनुशंसित
(मुहर के साथ)

कृषक का हस्ताक्षर/कृषक समुह के
प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

शपथ - पत्र

मैं कृषक/कृषक समुह का नामपिता/पति.....
ग्राम..... पंचायत/वार्ड सं०..... मो० नं०.....
आधार नं०..... बैंक का नाम..... खाता सं०.....
.....IFSC Code जमीन का खाता सं०..... प्लॉट सं०.....
..... प्रखण्ड.....जिला - रामगढ़ शपथपुर्वक कहता हूँ कि अनुदानित दर पर प्राप्त
..... यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर लेने इच्छुक हूँ। मैं अपनी इच्छा से
कृषि यंत्र लेना चाहता हूँ। जिसकी कुल राशि रुपया, अनुदान कि राशि
..... रुपया के अतिरिक्त शेष राशि की स्वयं बैंक
ड्राफ्ट/चेक/नकद अदा करेंगे।

मेरे द्वारा अनुदानित दर पर प्राप्त समान/कृषि यंत्र किसी दुसरे को बेचने का कार्य किया गया तो मेरे उपर नियमानुसार कारवाई की जा सकती है, जिसके लिए परियोजना निदेशक, आत्मा स्वतंत्र होंगे एवं मेरे द्वारा रा०खा०सु०मि०- दलहन/व्युट्री सीरियल योजनांतर्गत से विगत दो वर्षों में अनुदानित दर पर कोई लाभ नहीं लिया गया है।

गवाह का नाम एवं पता :- (1)
आधार सं०.....
मो० सं०.....
(2)
आधार सं०.....
मो० सं०.....

मुखिया का हस्ताक्षर एवं मुहर

कृषक/कृषक समुह के
प्रतिनिधि का हस्ताक्षर